भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3171

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

निषाद समुदाय का पुनर्वास

3171. श्री प्रवीन कुमार निषाद:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नदी, झील और तालाबों के निकट रहने वाला निषाद समुदाय या मछुआरा समुदाय मत्स्यपालन, नदी से बालू खनन और मल्लाही जैसे कार्यों पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समुदाय बालू-खनन की बोली प्रक्रिया प्रतिकूलत: से प्रभावित होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समुदायों की आजीविका नष्ट की जा रही है और इनका अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समुदाय के पुनर्वासन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 की धारा 23 (ग) के अनुसार, राज्य सरकारों के पास बड़े और लघु खनिजों के अवैध खनन की रोकथाम और इससे जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का पूर्ण अधिकार हैं। रेत एक लघु खनिज है, जिसे एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, लघु खनिज और इससे जुड़े दूसरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15, राज्य सरकार को खदान पट्टों, खनन पट्टों या दूसरी खनिज रियायतों के अनुदान के विनियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के निषाद जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। सरकार, अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न शैक्षिक सशक्तिकरण और आर्थिक विकास योजनाओं को लागू कर रही है। अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों/समुदायों से संबंधित व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं।

*****